(13)

# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अभ्यावेदन प्रकरण क्रमांक /2018 जिला – अशोकनगर
III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा/2018/2206

श्री दिवाकर दीक्षित (Adv.) द्वारा आज दि. 04/04/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13-4-18 नियत। 4-4-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. शाहिद अली पुत्र श्री हामिद अली
2. श्रीमती फिरोजसैयद पत्नी स्व. ताहिर अली
3. श्रीमती फातिमा सैयद पत्नी ताहिर अली
4. सैयद नासिर अली पुत्र ताहिर अली
5. कु. कनीज सैयद पुत्री ताहिर अली नाबालिग
6. सैयद हसमत अली पुत्र ताहिर अली नाबालिग
7. कु. बुसरा सैयद पुत्री ताहिर अली नाबालिग क्रमांक 5, 6, 7 नाबालिग संरक्षक माता फिरोज सैयद

सभी निवासीगण – कटरा मौहल्ला जिला अशोकनगर म.प्र.

––आवेदकगण

विरूद्ध

धन्नालाल पुत्र नवला हरिजन
निवासी– अशोकनगर जिला अशोकनगर (म.प्र.)

–– अनावेदक

दिवाकर दीक्षित (एडवोकेट)
बाई साहब की परेड, लक्ष्मीगंज
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो. 97544-77076

**न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण 84/बी–121/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2018 के विरूद्ध राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–1 कण्डिका 18 के अन्तर्गत अभ्यावेदन।** M.P. LRC 1959 निगरानी धारा 50

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह अभ्यावेदन निम्न तथ्यों एवं आधारों पर निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1. यहकि, आवेदक ताहिर अली पुत्र हमीद अली ने नजूल भूमि सर्वे क्रमांक 404, 405, 408 का अंश भाग 18×18 फीट एक वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर को आवेदन दिनांक 20.04.1971 को प्रस्तुत किया परन्तु इस आवेदन का निराकरण यथा समय न होकर प्रचलित रहा दिनांक 17.05.1982 को अनावेदक धन्नालाल ने उक्त पर आपत्ति प्रस्तुत कर स्वंय को अस्थाई लीज दिये जाने की मांग की गयी इसी दरम्यान प्लांट नं 10 ताहिर अली पुत्र हमीद अली को लीज पर आवंटित किया गया। इस प्रकार प्लांट

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2018/2206

शाहिद अली आदि विरूद्ध धन्नालाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 6-08-2019 | प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 84/बी–121/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 20–02–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>3/ पक्षकार दिनांक 05–09–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>(जे0के0 जैन)<br>सदस्य | |